राजस्थान सरकार

तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक 10(30)त.शि / 2016

जयपुर, दिनांक 12 जुलाई 2017

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की आरक्षित सूची के अनुसार आयोग की अभिशंषा पर राज्यपाल महोदय निम्न अभ्यार्थी को जिनकी जन्मतिथि उनके नाम के सामने अंकित हैं, कार्यभार संभालने की तिथि से प्रवक्ता, अंग्रेजी के पद पर राजस्थान तकनीकी शिक्षा सेवा नियम 2010 (अभियांत्रिकी) के अंतर्गत वेतन श्रंखला 15600–39100 मे न्यूनतम ग्रेड पे 5400/–रू. मे नियत वेतन 22180/– मे अस्थायी रूप से 2 वर्ष के प्रोबेशन पर नियुक्त कर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है–

S.no	Name & Address of Candidate	Category & Merit no	Date of Birth	Place of posting
1	श्रीमती रितु अग्रवाल पुत्री श्री नारायण लाल अग्रवाल ए–20 श्रीजी नगर, राजश्री ब्यूटी पार्लर के पास, दुर्गापुरा, जयपुर पिन न0 302018	GEWE R-1	17.6.1981	राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविधालय, जयपुर
2	श्रीमति नीरज शर्मा पुत्री श्री कुमुद वल्लव शर्मा पता –वार्ड 11(नया) सिधी धर्मशाला के पास , विश्नोई मौहल्ला , सूरतगढ, जिला श्री गंगानगर 335804	GEWE R-2	26.8.1984	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविधालय, हनुमानगढ
3	सुश्री विनीता कुमावत पुत्री श्री राधेश्याम कुमावत, पता–136, नदविहारकालोनी, श्योपुररोड ,प्रताप नगर, सागानेर, पिन न0 302033	GEWE R-3	2.11.1993	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविधालय, अजमेर.

1 उक्त अभ्यार्थी को 2 वर्ष तक परिवीक्षाकाल के लिये मासिक स्थिर परिलाभ रूपये अभ्यार्थी को 22180/– पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।

2 परिवीक्षाकाल मे इन्हे कोई वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य भत्ते देय नही होंगे, अर्थात परिवीक्षाकाल को वेतन वृद्धि के लिये नही गिना जायेगा।,? यात्रा भत्ता आदि नही दिया जायेगा।

12/07

Kindly upload in estb. tab.

14/7

3 2 वर्ष का परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर इन्हें प्रवक्ता पद की वेतन श्रंखला 15600–39100 ग्रेड पे 5400/– देय होगी तथा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर इन्हे वेतन श्रंखला मे न्यूनतम वेतन दिया जायेगा।

4 वित्त (नियम) विभाग के आदेश कमांक एफ 13(1) एफ डी/रूल्स/2003 दिनांक 29.1.2004 के अनुसार इनकी नियुक्ति पर पेंशन नियम के स्थान पर अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

5 उक्त अभ्यार्थी की नियुक्ति वित्त नियम विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 1(2)एफडी/रूल्स/2006 दि.13.3.06, एफ 12(6) एफ डी/रूल्स/05 दिनांक 13.3.06, एफ 13(1)एफ डी/रूल्स/06 दिनांक 13.3.06, के द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अधीन होगी।

6 यह नियुक्ति अधीक्षक, चिकित्सालय अनुलग्नक मेडिकल कॉलेज/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से राज्य सरकार के आदेश कमांक एफ 15(1)डीओपी/ए–11/74 दिनांक 1.1.75 द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगी एवं तत्पश्चात ही कार्यग्रहण कर सकेंगे।

7 पदस्थापन आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह की अवधि मे पदस्थापन आदेश पर अनिवार्य रूप से कार्यग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि मे कार्यग्रहण नही करने पर इनकी नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझे जायेगे।

आज्ञा से,

(एम.एम सेतिया)
संयुक्त सचिव त.शि.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, तकनीकी शिक्षा।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, तकनकी शिक्षा।
3. निजी सचिव, सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के पत्र एफ 7(55)भर्ती/गोपनीय/2013–14/42 दिनांक 20.4.2017एवं एफ 7(55)गोपनीय/2013–14/54 दिनांक 24.4.2017 के कम में।
4. निदेशक प्राविधिक शिक्षा, राजस्थान जोधपुर।
5. संबंधित संस्था प्रधान को भिजवाकर लेख है कि कृपया उपरोक्त अभ्यर्थी को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कार्यभार ग्रहण करने दिया जायेगा।
6. अभ्यार्थी, (रजिस्टर्ड पत्र से)
7. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त सचिव त.शि.